15 1/21

अगि० प्रार्थी व पेरोकार सरकार उप० से जवाब प्राप्त है। शा०रहे। प्रार्थी का मुख्य रूप से कथन है कि आराजी खसरा नम्बर 2415 रकबा 0.50 हे० वाके ग्राम खरेड़ा तहसील रोडा(केसिंह में खातेदारी में उसका नाम कैलाश पुत्र भैरु दर्ज है। उक्त आराजी सन् 1990 में क्रय की थी। नामा० सं० 168 दि० 30/6/1990 से प्रार्थी के नाम दर्ज हुई थी प्रार्थी के घर कागजात व बोलचाल ~~नाम~~ का नाम कैलाशचन्द है तथा पदार्थ रिकार्ड, राशनकार्ड, वोटर लिस्ट, पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड में रामावतार पुत्र भैरु दर्ज है। प्रार्थी का वास्तविक नाम रामावतार पुत्र भैरुलाल है। अत: रिकार्ड राजस्व में प्रार्थी का नाम कैलाश पुत्र भैरु के स्थान पर ~~कैला~~ रामावतार पुत्र भैरुलाल दर्ज फरमाया जावे। प्रार्थी ने प्रा० पत्र के समर्थन में नकल नामान्तरकरण सं० 168 खरेड़ा, जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071, सम्वत् 2073-2076, प्रमाण पत्र हायर सैकण्डरी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, आधार कार्ड पेश किये।

पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट के तहत Ruby

| ...ोल ...म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, ड्राईवर लाईसेंस, भामाशाह कार्ड, सेकेंडरी बोर्ड तालिका, परिवार राशन कार्ड, जमाबंदी सम्वत् 2012-15 खाता सं. 518 वाके ग्राम खरेड़ा, जमाबंदी सम्वत् 2073-2076 खाता सं. 88 वाके ग्राम खरेड़ा की फोटो प्रतियां पेश कर निवेदन किया कि उक्त दस्तावेजों के अनुसार उसका नाम रामावतार है। बोलचाल की भाषा में कैलाश कहते है। उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कैलाश पुत्र भैरूलाल ब्राह्मण के नाम दर्ज रिकार्ड हुई थी कैलाश पुत्र भैरूलाल व रामावतार पुत्र भैरूलाल ब्राह्मण एक ही व्यक्ति होना पाया जाता है। अतः नियमानुसार प्रार्थी का नाम रामावतार किया जाना उचित है। पेशकार सरकार नायब तहसीलदार द्वारा अपने जवाब में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी इन्द्राज किया जाना उचित होना दर्शाया है।<br><br>अप्रार्थी व पेशकार सरकार को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी आराजी ख. नं. 2415 रकबा 0.50 हैक्टेयर वाके ग्राम खरेड़ा में उसका नाम कैलाश पुत्र भैरू के स्थान पर रामावतार पुत्र भैरूलाल इन्द्राज करवाना चाहता है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं पेशकार सरकार के जवाब में इन्द्राज योग्य बताया है लेकिन रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के नाम जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आई थी जो कि पत्रावली पर उपलब्ध नकल नामान्तकरण सं. 168 वाके ग्राम खरेड़ा, स्वयं के कथन प्रार्थना पत्र की मद नं. 2, रिपोर्ट पटवारी से बखूबी प्रमाणित है। जब विक्रय पत्र में प्रार्थी द्वारा स्वयं ने अपना नाम कैलाश पुत्र भैरू लिखवाते हुए विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाया है तो अब किस आधार पर वह कैलाश के स्थान पर रामावतार इन्द्राज करवाने हकदार है। प्रकरण भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 की परिधि में नहीं आना पाया जाता है।<br><br>अतः उपरोक्तानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी संधारणीय नहीं होने के फलस्वरूप खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। हुक्म आज दि. 21/1/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>Ruby | |